

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 15 मार्च, 2023

1. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में दिनांक 11 मार्च, 2023 को छपी खबर 'परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी रहा गैरहाजिर और पास हो गया' शीर्षक से छपे समाचार का कड़ा संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की विशेष बैठक का आयोजन दिनांक 14.03.2023 को किया गया जिस में सहायक प्रोफेसर सर्गीत (गायन) कॉलेज कैडर विषय की छंटनी परीक्षा के दस्तावेजों की गहन एवं विस्तृत जाँच की गई तथा पाया कि जो आरोप लोक सेवा आयोग के विरुद्ध कुछ दैनिक समाचार में छपे थे, वे गलत, झूठे व आधारहीन / तथ्यहीन हैं। जिस अभ्यर्थी के बारे में एक समाचार पत्र ने परीक्षा केंद्र में अनुपस्थित होने के बावजूद आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम में पास घोषित करने का आरोप लगाया था, की पुष्टि आयोग द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्धित दस्तावेजों से की गई तथा पाया कि आरोप बेबुनियाद व गलत है तथा इस तरह का कोई मामला नहीं पाया गया।
2. अतः इस तरह की घटना की बिना छानबीन किए रिपोर्टिंग की लोक सेवा आयोग भर्त्सना करता है। जहां तक उत्तरकुंजी में गलत उत्तरों का सम्बन्ध है, इस बारे में आयोग द्वारा अपने नियमों (रूल ऑफ बिजनेस) के अर्न्तगत कार्यवाही अमल में लाई गई है।
3. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सदैव उम्मीदवारों का हितैषी रहा है तथा किसी भी उम्मीदवार से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक परीक्षा का आयोजन पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और नियमों के तहत किया जाता है तथा आयोग की छवि हमेशा से साफसुथरी रही है और इसकी गिनती देश के चुनिन्दा आयोगों में होती है इसलिए आयोग उम्मीदवारों से भी अपील करता है कि वे इस प्रकार की भ्रान्तियों से दूर रहें व आयोग के कार्यों को समयवद्ध/ चरणवद्ध तरीके से पूर्ण करने में सहयोग दे।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग,
शिमला-171002।